


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्रीमती विद्यावती बनाम सरकार 01/2017	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.01.2021	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलार्थी अनुपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रतित होता है कि अपीलार्थी श्रीमती विद्यावती की मृत्यु दिनांक 20.06.2017 को हो चुकी है। वकील अपीलार्थी द्वारा अपीलांट श्रीमती विद्यावती की मृत्यु होने के पश्चात उसके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लाने हेतु कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु दिनांक 24.7.2017 से समय चाहा जा रहा है परन्तु आज दिनांक तक कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है। अतः अपीलांट के फौत होने व कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने के कारण उनके खिलाफ कार्यवाही Abate की जाती है व अपील खारीज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय विधिवत सूचित हो। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।</p> <p style="text-align: right;">  (नरेन्द्र गुप्ता) अति सहायक आयुक्त, जयपुर </p>	



2017/00004

समक्ष न्यायालय संभागीय आयुक्त संभाग जयपुर

जिला जयपुर

राजस्व अपील संख्या — 15 — /2013

प्लेट-श्रीमती विद्यावती पत्नी श्री रामहेत सिंह जाति जाटव निवासी सांगानेर
तहसील सांगानेर हाल निवासी 123, विश्वेश्वरिया नगर विस्तार,
गोपालपुरा बाईपास जयपुर।

अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
विरुद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर
दिनांक 30-01-2012 आदेश तहसीलदार सांगानेर
दिनांक 15-03-1985 नामान्तरण संख्या 351 ग्राम
नेवटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

मान्यवर,

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि भूमि साबिक खसरा नम्बर 19/1
रकबा 5 बीघा व खसरा नम्बर 73/1 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा कुल
रकबा 10 बीघा 4 बिस्वा ग्राम नेवटा तहसील सांगानेर दिनांक